काना बनाम मोहनलाल

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अजीत सिंह एडवो. श्री रेस्पो. से 8 अनु.	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
13/8/2021	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध वाद संख्या 112/1994 वास्ते खातेदारी उद्घोषणा खातेदारी तथा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अपीलांट तथा राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया गया था । अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 का वाद कब्जे के अभाव में दिनांक 26.4.2000 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 3 से 5 ने न्यायालय हाजा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 32/2000 पेश की जो निर्णय दिनांक 1.2.2001 के निरस्त कर दी गई । न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 1.2.2001 के विरूद्ध वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 से 5 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील डिक्री टीए संख्या 1189/2001 बउनवानी भूरा बनाम काना वगैरह प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है । वर्किंग जमाबंदी में वादीगण/रेस्पो0 का नाम दर्ज होने से गोपाल पुत्र रामनाथ द्वारा 1/3 हिस्सा भूमि रामधन पुत्र रामा को दिनांक 31.1.2011 को विक्रय कर दी गई । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा केतागण के नाम नामांतकरण संख्या 1271, 1270 दिनांक 16.6.2011 को तस्दीक किया गया । उक्त नामांतकरण के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अतिरिक्त संभागयी आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 164/2011 एवं 165/2011 पेश की गई जो निर्णय दिनांक 14.9.2011 द्वारा निरस्त की गई है । विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.9.2011 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील एल0आर0एक्ट संख्या 6976 एवं 6975 बउनवान काना बनाम जगन्नाथ पेश की गई जिसमें मान0 मण्डल द्वारा दिनांक 19.10.2011 को यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया है तथा उक्त अपीलें भी मान0 राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । अपीलांट ने अपीलमीमों में यह भी अंकित किया है कि तहसीलदार, सरवाड़ श्री मोहनलाल खटनावलिया द्वारा दिनांक 21.8.2012 को गलत रिपोर्ट तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को जरिये पत्र कमांक राजस्व/12/1814 भिजवा दिया जिसके आधार पर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजियात यखसरा संख्या 433/1/1 रकबा 8–3–6 (13217 वर्गमीटर) का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 3.9.2012 को पारित किया है । इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ श्री मुरारीलाल वर्मा, तहसीलदार सरवाड़ श्री मोहनलाल खटनावलिया तथा हल्का पटवारी अजगरा श्री राज्यवर्द्धन द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19.10.2011 की घोर अवमानना कारित की है इस कारण अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, तहसीलदार, सरवाड़ तथा पटवारी हल्का अजगरा के विरूद्ध अवमानना याचिका भी पेश कर रखी है जो भी विचाराधीन है । अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा विवादित भूमि के संबंध	निरन्तर

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

निरन्तर----	में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 3.9.2012 के विरूद्ध पेश की गई है जबकि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 से 5 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में वाद संख्या 112/94 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.4.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील डिक्री टीए संख्या 1189/2001 भूरा बनाम काना वगै0 तथा अपीलांट द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, तहसीलदार, सरवाड़ एवं पटवारी हल्का, अजगरा के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना याचिका विचाराधीन है । इसी प्रकार अपीलांट द्वारा माननीय मण्डल में नामांतकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील एल0आर0एक्ट0 संख्या 6976/2011 एवं 6975/2011 काना बनाम जगन्नाथ भी विचाराधीन है। माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन उपरोक्त अपीलों में होने वाले निर्णयों का प्रभाव न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील में होने वाले निर्णय पर रहेगा । ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन अपील डिक्री टीए संख्या 1189/2001 बउनवानी भूरा बनाम काना वगैरह, अपील एल0आर0एक्ट संख्या 6976 एवं 6975 बउनवान काना बनाम जगन्नाथ के निर्णय तक हस्तगत अपील में किसी प्रकार का निर्णय पारित करना उचित नहीं समझते है तथा अपील की कार्यवाही माननीय मण्डल में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण तक स्थगित किया जाना उचित समझते है । अतः हस्तगत अपील में माननीय राजस्व मण्डल में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अपील डिक्री टीए संख्या 1189/2001 बउनवानी भूरा बनाम काना वगैरह, अपील एल0आर0एक्ट संख्या 6976 एवं 6975 बउनवान काना बनाम जगन्नाथ के विचाराधीन होने से अपील कार्यवाही स्थगित की जाती है । पक्षकारान द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में निर्णय उपरांत निर्णय की प्रति पेश किये जाने पर हस्तगत अपील को पुनः नंबर पर लिया जावे । तदानुसार पत्रावली निर्णित की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । 13/8/2021 (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	